* ओ३म् *

स्वीकारपत्र

सम्पादक का निवेदन

—*—

महर्षि दयानन्द सरस्वती का स्वीकार-पत्र [वसीयत नामा] एक छोटा क़ानूनी-लेख है। वैदिक यन्त्रालय अजमेर द्वारा स्वीकार-पत्र का पुस्तकवत् प्रकाशन कई बार किया जा चुका है। यह स्वीकार-पत्र इस योग्य है कि इसे थोड़े-थोड़े समय के बाद बारम्बार, बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाशित और आर्य-संसार में प्रसारित किया जाया करे। प्रत्येक आर्य नर-नारी को उचित है कि वह मनोयोग पूर्वक इस स्वीकार-पत्र का पाठ एवं विचार करे। महर्षि दयानन्द अपने जीवन में तथा अपने शरीर-त्याग के पश्चात्, क्या-क्या चाहते थे, सो उनके भावों, संकल्पों, आदेशों एवं स्वप्नों का प्रतिबोधक यह स्वीकार-पत्र है।

सभी जानते हैं कि महर्षि एक विरक्त साधु महात्मा थे। युवावस्था में सुसम्पन्न घर-बार को छोड़ कर, उन्होंने मुक्ति-पथ का अनुगमन किया था। उनके जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर आये, जब कि धन-सम्पत्ति के बड़े-बड़े प्रलोभन उन्हें दिये गये, परन्तु उधर कुछ भी ध्यान न देकर, वे निर्मोही मस्तानों की तरह, आगे ही आगे बढ़ते चले गये। "तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी, उन को कुछ भी आकर्षित न कर सकी।"

जब महर्षि ने अपने वेद भाष्य तथा अन्य ग्रन्थों के प्रकाशन का पुण्य कार्य आरम्भ किया, तो देखते ही देखते, बहुत थोड़े समय में, बहुत-सा धन एकत्रित हो गया। यह धन कितना था? मेरे पास आंकड़े नहीं हैं; परन्तु वह अवश्य ही बहुत अधिक था। एक बहुत बड़ा छापाखाना था, पुस्तकों का बहुत बड़ा स्टाक था और नकद रुपया भी था। इस सब का मूल्य इतना अधिक था कि महर्षि अपने निधन के पश्चात् उसके सदुपयोग तथा उस की सुरक्षा का विचार किया करते थे। और, इसी विचार के परिणामस्वरूप महर्षि ने 'परोपकारिणी सभा' की स्थापना की थी। एवं, इस स्वकार-पत्र को लिखा था।

महर्षि के पास इतना अधिक रुपया कहां से आता था? एक तो महर्षि के पुण्य-कार्यों से आनन्दित और उत्साहित होकर, जनता भेंट स्वरूप देती थी, दूसरे महर्षि के ग्रन्थों की मांग भी बहुत अधिक थी। अच्छा लाभ प्राप्त होता था। महर्षि की परोपकार-परायणता, कर्तव्य-निष्ठा, अलोभता आदि को जनता ने उत्तमतया जान लिया था। महर्षि का ध्येय उत्तम था। अतः, ऐश्वर्य स्वयमेव महर्षि की चरण-वन्दना करने के लिये उत्साही हो उठा था।

महर्षि दयानन्द ने अपने स्वीकार पत्र की रजिस्टरी दो बार कराई थी। प्रथम बार मेरठ में और दूसरी बार उदयपुर में। मेरठ में जिस स्वीकार-पत्र की रजिस्टरी हुई थी, वह ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन नामक ग्रन्थ में पृष्ठ ५२८ से ५३१ तक छपा है। उदयपुर में महर्षि ने अपने मेरठ के लेख में कुछ सुधार किये थे, अतः उनकी दूसरी बार रजिस्टरी होनी आवश्यक थी। वर्तमान स्वीकार-पत्र उदयपुर में ही लिखा गया था।

जब प्रथम बार मेरठ में स्वीकार-पत्र की रजिस्टरी हुई थी, तब महर्षि ने पंडित भीमसेन जी के नाम एक पत्र लिखा था, वह पूरा पत्र इस प्रकार है:—

पण्डित भीमसेन जी आनन्दित रहो।

अब तुमने आठ दिन पीछे चिट्ठी भेजना बन्द क्यों कर दिया। बराबर आठ दिन पीछे चिट्ठी भेजा

करो। और यह लिखा करो कि इस सप्ताह में इतनी पुस्तकें छपीं और यह-यह काम हुआ। और अब क्या होता है। आगे सप्ताह में क्या काम होने वाला है। और जब-जब चिट्ठी लिखा करो, मुन्शी जी से पूछ देखा करो कि इन आठ दिनों में कितनी पुस्तकें छपीं और जब-जब छप कर तैयार हुआ करें सब गिन कर संख्या लिखा करो। और मुन्शी जी तो माहवारी आमदनी बिक्री के रुपयों का हिसाब चिट्ठी लिखते ही हैं। तथापि तुम भी वखत-बखत सब पूछ लिया करो। और मुन्शी जी से कहना कि तुम को कुछ भी शंका न करनी चाहिये। आप इस्तीफा सरकारी नौकरी का दे दीजिये। जब तक तुम काम करने वाले हो, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, और सामर्थ्य है, तब तक आनन्द में काम किया करो। और पश्चात् भी तुम्हारी सलाह से काम हुआ करेंगे। और वसीयत नामे की सभा के सभासद् सब आर्य समाज के हैं। किसी प्रकार की हानि उन के लिये न करेंगे। और निश्चय है कि मुंशी जी भी ऐसे नहीं हैं कि कभी धर्मविरुद्ध काम करें। और वसीयत नामे में यह अवकास रखा है कि चाहे जिसको रजिस्टरी जितने अधिकार वा धन देने आदि के लिये मैं करा दूंगा। उसका पूरा करना सभा को अवश्य होगा। और अधिक न्यून अदल बदल वा दूसरा वसीयत नामा करने का अधिकार मैंने पूरा रखा है। चाहे किसी सभासद् को निकाल दूं, वा किसी अन्य सभासद् को भरती करदूं। इत्यादि नियम इसलिये रखे हैं कि जो चाहें सो हम कर सकते हैं। ये सभासद मुंशीजी के सुहृद ही हैं। और सब विद्वान् और धार्मिक हैं। किसी के लिये अन्याय की वृत्ति नहीं करते, तो क्या मुंशी जी के लिये अन्यथा प्रवृत्ति करने को उद्यत हो सकते हैं। कभी नहीं। क्योंकि धार्मिक लोग सदा धर्म प्रिय अधर्म द्वेषी ही होते हैं। क्या मैं वा वे सभासद मुंशी जी को परोपकार के लिये प्रवृत्त हुए नहीं जानते हैं। इससे यह पत्र मुंशी बख्तावर सिंह जी को एकान्त में सुना देना। और इस पत्र को अपने पास रखा चाहें, तो दे देना। तुझ को यह पत्र इसलिये लिखा है कि तू भी इसका साक्षी रहे। और यह लेख मैंने अपने हाथ से इसलिये किया है कि यह बात गुप्त रहे और समय पर काम आवे।

ह० दयानन्द सरस्वती

यह पत्र 'ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन' नामक ग्रन्थ में पृष्ठ २०६ व २१० पर प्रकाशित हुआ है। महर्षि के स्वीकार-पत्र लिखने की बात जान कर, उनके प्रेस के प्रबन्धक मुंशी बख्तावर सिंह जी को कुछ चिन्ता वा आशंका हुई होगी, और उसका वृत्तान्त महर्षि को मिला होगा, तभी यह पत्र लिखा गया होगा। उन दिनों वैदिक यन्त्रालय काशी में था। इस पत्र के विषय में टिप्पणी के रूप में उक्त ग्रन्थ के सम्पादक श्री पं० भगवद्दत्त जी लिखते हैं :—

"यह पत्र आर्यदर्पण मई १८८६ पृ० ११७-११८ पर छपा है। हमने इसे वहीं से लेकर यहां धरा है। प्रकरण से जुलाई १८८० में लिखा गया प्रतीत होता है।"

मिति फाल्गुण वदी १० रविवार सं० १९३९ तदनुसार ता० ४ मार्च सन् १८८३ ई० को महर्षि ने चित्तौड़गढ़ से मुन्शी समर्थदान जी प्रबन्धक "वैदिक यन्त्रालय' प्रयाग के पास एक पत्र भेजा था। वह पत्र "ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन" नामक ग्रन्थ में पृ० ३९८ से ४०० तक छपा है। उसका एक अंश इस प्रकार है :—

"गत पंचमी मंगलवार के दिन सायंकाल ७ बजे बड़े-बड़े सरदार तथा कामदारों की सभा बुलाके स्वीकार-पत्र जो कि मेरठ में हमने रजिस्टर कराया था, उसमें से एच० अलकाट साहेब, तथा एच० पी० ब्लैवस्टकी, मुन्शी इन्द्रमणि को पृथक् कर दिये, और डाक्टर बिहारीलाल जी का शरीर छूट गया। इनके ठिकाने में अन्य चार तथा पाँच सभासद् और बढ़ा दिये अर्थात् प्रथम अठारह थे, अब तेईस हो गये। उनमें से सभापति आर्यकुल दिवाकर श्रीयुत महाराणा जी और उपसभापति लाला मूलराज एम० ए० मन्त्री श्यामलदास जी आदि नियत हुए हैं।

उसकी एक प्रति श्रीमानों के हस्ताक्षर और राजकीय मोहर लगा कर सबने माननीय प्रतिष्ठित माना है। यह बात महा लाभदायक और बड़ा काम देगी।

अब सरकारी राज में भी इसकी रजिस्टरी करालें, सो रजवाड़ों में और अंग्रेजी राज्य में भी बड़ा माननीय होगा। और राजकीय यन्त्रालय उदयपुर में छप कर सभासदों के पास एक-एक प्रति पहुँचेगी। और ज्यादा छपेगी, तो अन्य योग्य पुरुषों के पास भेज दी जायगी। यह तुम्हारे पास इसलिये भेजते हैं कि अपने परामर्श, अनुमति और महाराणा जी को धन्यवाद लेखपूर्वक-पत्र अन्त में, और आदि में यह स्वीकारपत्र अच्छे कागज पर और अच्छे टाइप में छपवा कर योग्य-योग्य वेद भाष्य के ग्राहक और भारतमित्रादि समाचार-पत्र और मुख्य-मुख्य पुस्तकालय में भेज दो। और जब छप चुकेगा, तब हम भी लिखेंगे कि फलाने-फलाने के पास भेज दो।"

यदि महर्षि चाहते, तो अन्य लोगों के समान चेला-चेली का व्यापार चला सकते थे। मठ आदि बना कर गुरु-शिष्य परम्परा की प्रवर्तना कर सकते थे। अपने आप को सिद्ध वा गुरु रूप में पुजवा सकते थे और अपनी गद्दी अथवा समाधि आदि बनाने का आदेश दे सकते थे। परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ भी न किया। न ही वे ऐसा कर सकते थे। अपने लिये, जो कामना उन्होंने की थी, वह इसी स्वीकार-पत्र के नियम पांच में अंकित है। आर्य पुरुषो ! महर्षि के शब्दों पर विचार करो, उस महिमामय महर्षि का पुण्य स्मरण करो। और, उस का जो ऋण हम पर है, उसे चुकाने के लिये दृढ़ संकल्प करो, सतत पुरुषार्थ करो। कुछ करो। .

इस स्वीकार-पत्र के अनुसार संस्थापित परोपकारिणी सभा अजमेर में अपना काम कर रही है। हमें दुःख से लिखना पड़ता है कि उक्त सभा का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। महर्षि ने परोपकारिणी सभा को अपनी उत्तराधिकारिणी ही नहीं बनाया था; अपितु अपनी स्थानापन्न बनाया था। एक दीर्घ काल व्यतीत हो गया, फिर भी महर्षि के कार्य अधूरे ही पड़े हैं। उनके आदेशानुसार उत्साहपूर्वक कार्य हो नहीं रहा है। परोपकारिणी सभा के सदस्यों और अधिकारियों को चाहिये कि वे इस 'स्वीकार-पत्र' को एक बार फिर ध्यान से पढ़कर अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें। तथा आर्य जनता को भी उचित है कि वह महर्षि के आदेशों को पूर्ण करने और पूर्ण करवाने के लिये प्रबुद्ध होकर, यथोचित उपायों का अवलम्बन करे।

महर्षि वेद प्रचार की सम्पूर्ण प्रगतियों के संचालन तथा आयोजन की आशा अपनी इस परोपकारिणी सभा से ही करते थे। यदि परोपकारिणी सभा अपने गौरव की रक्षा के लिये जागरूक रहती, तो शायद यही इस समय आर्य समाज की सर्वोपरि, शिरोमणी सभा होती। तब तो और अनेकानेक जो सभायें इस समय कार्य कर रही हैं, वे इस परोपकारिणी सभा की शाखाओं का ही रूप धारण करतीं। आज तो परोपकारिणी सभा केवल पुस्तक प्रकाशक और विक्रेता बन कर ही रह गई है। और इस दिशा में भी उस का कार्य प्रशंसनीय नहीं है।

महर्षि दयानन्द द्वारा संस्थापित होने के कारण आर्य-जनता को परोकारिणी सभा अजमेर से बहुत अधिक प्रेम है। अपने प्रेम का परिचय भी आर्य जनता समय-समय पर देती रहती है। आर्य जनता सभा से नेतृत्व की आशा चिरकाल से करती आ रही है और सभा की 'न कुछ करनी' नीति से दुःख भी बहुत है। परोपकारिणी सभा के सदस्यों और अधिकारियों को इस वस्तुस्थिति पर शीघ्र ध्यान देना चाहिये। महर्षि के ग्रन्थों के सुसम्पादित रूप में पुनः मुद्रण, अलभ्य-ग्रन्थों के पुनः प्रकाशन तथा अप्रकाशित ग्रन्थों के प्रकाशन का कार्यक्रम शीघ्र बनाना चाहिये और उन कार्यों को भी आरम्भ करना चाहिये, जिनके करने का आदेश महर्षि ने अपने इस स्वीकार-पत्र में दिया है। और, जो कि इस समय तक भी आरम्भ नहीं किये गये। सभा के अधिकारी और सदस्यगण विश्वास रखें—आर्य जनता उनके कार्यों का उत्साह पूर्वक स्वागत करेगी। यदि महर्षि के आदेशानुसार कार्य न होगा, फिर तो जनता का विश्वास ही सभा पर से उठ जायेगा।

संवत् १९७४ वि० में पांचवीं बार वैदिक यन्त्रालय अजमेर द्वारा प्रकाशित पुस्तक के अनुसार 'स्वीकार-पत्र' का प्रकाशन आगे किया जा रहा है। — रु१५८६.६क

* ओ३म् *

स्वीकारपत्र

श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य्य श्री १०८ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत श्रीमती परोपकारिणी सभा सम्बन्धी ।

॥ श्रीरामजी ॥*

परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिकृत स्वीकारपत्र की प्रति ॥

आज्ञा (राज्ये श्रीमहद्राजसभा) संख्या—२६०

आज यह स्वीकारपत्र श्रीमान् श्री १०८ श्री जी धीरवीर चिरप्रतापी विराजमानराज्ये श्रीमहद्राजसभा के सन्मुख स्वामीजी श्री दयानन्दसरस्वतीजी ने सर्वरीत्या अङ्गीकार किया अत एवः—

आज्ञा हुई—

कि प्रथम प्रति तो इस स्वीकारपत्र की स्वामी जी श्रीदयानन्दसरस्वतीजी को राज्ये श्री महद्राजसभा के हस्ताक्षरी और मुद्राङ्कित दी जावे और दूसरी प्रति उक्त सभा के पत्रालय में रहे और एक एक प्रति इस की राज यन्त्रालय में मुद्रित होकर इस स्वीकारपत्र में लिखे सब सभासदों के पास उन के ज्ञातार्थ और इसके नियमानुसार वर्तने के लिये भेजी जावे संवत् १६३६ फाल्गुन शुक्ला ५ मङ्गलवार तदनुसार ता० २७ फेब्रुएरी सन् १८८३ ई० ।

हस्ताक्षर महाराणा सज्जनसिंहस्य—
(श्रीमेदपाटेश्वर और राज्ये श्रीमहद्राजसभापति)

राज्ये श्रीमहद्राजसभा के सभासदों के हस्ताक्षर-

१–राव तख्तसिंह बेदले
२–राव रत्नसिंह पारसोली
३–द० महाराज गजसिंह का
४–द० महाराज रायसिंह का
५–हस्ताक्षर मामा बख्तावरसिंहस्य
६–द० राणावत उदयसिंह
७–हस्ताक्षर ठाकुर मनोहरसिंह
८–हस्ताक्षर कविराज श्यामलदासस्य
९–हस्ताक्षर सहीवाला अर्जुनसिंह का
१०–द० रा० पन्नालाल
११–ह० पुरोहित पद्मनाथस्य
१२–जा० मुकुन्दलाल
१३–मोहनलाल पण्ड्या

स्वीकारपत्र

मैं स्वामी दयानन्दसरस्वती निम्नलिखित नियमानुसार त्रयोविंशति सज्जन आर्य्यपुरुषों की सभा को वस्त्र, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सर्वस्व का अधिकार देता हूँ और उस को परोपकार सुकार्य में लगाने के लिये अधिष्ठाता करके यह पत्र लिख देता हूँ कि समय पर कार्यकारी हो। जो यह एक सभा कि जिसका नाम परोपकारिणी सभा है उस के निम्नलिखित त्रयोविंशति सज्जन पुरुष सभासद् हैं उन में से इस सभा के सभापतिः—

* मंगलाचारण स्वरूप—यह "श्री राम जी" लेख महर्षि दयानन्द जी के सिद्धान्त से विरुद्ध है। यह उदयपुर के किसी राजकीय कर्मचारी ने लिखा होगा। राजकीय मुद्रा का ब्लाक अजमेर की पुस्तक में नहीं है। हमने इस पुस्तक के लिये बनवाया है। —सम्पादक

१—श्रीमन्महाराजाधिराज महीमहेन्द्र यावदार्य्य-कुलदिवाकर महाराणा जी श्री १०८ श्रीसज्जनसिंहजी वर्म्मा धीरवीर जी० सी० एस० आई० उदयपुराधीश हैं, उदयपुर राज मेवाड़।

२—उपसभापति लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा एसिस्टेण्ट कमिश्नर प्रधान आर्य्यसमाज लाहौर जन्मस्थान लुधियाना।

३—मन्त्री श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी उदयपुर राज मेवाड़।

४—मन्त्री लाला रामशरणदासजी रईस उपप्रधान आर्य्यसमाज मेरठ।

५—उपमन्त्री पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलालजी निवास उदयपुर जन्मभूमि मथुरा।

सभासद्

नाम	स्थान

१—श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वर्मा शाहपुरा राज मेवाड़

२—श्रीमत् राव तख्तसिंहजी वर्म्मा बेदला राज मेवाड़

३—श्रीमत् राज्य राणा श्री फतहसिंहजी वर्म्मा देलवाड़ा राज मेवाड़

४—श्रीमत् रावत अर्जुनसिंहजी वर्मा आसींद राज मेवाड़

५—श्रीमत् महाराज श्री गजसिंहजी वर्म्मा उदयपुर मेवाड़

६—श्रीमत् राव श्री बहादुरसिंहजी वर्म्मा मसूदा जिले अजमेर

७—रायबहादुर पं० सुन्दरलाल सुपरेंटेंडेंट वर्कशोप और प्रेस अलीगढ़ आगरा

८—राजा जयकृष्णदास सी. एस. आई. डिपुटी-कलक्टर बिजनौर मुरादाबाद

९—बाबू दुर्गाप्रसाद कोशाध्यक्ष आर्य्यसमाज व रईस फर्रुखाबाद

१०—लाला जगन्नाथ प्रसाद रईस फर्रुखाबाद

११—सेठ निर्भयराम प्रधान आर्य्यसमाज फर्रुखाबाद विसाऊ राजपूताना

१२—लाला कालीचरण रामचरण मन्त्री आर्य्यसमाज फर्रुखाबाद

१३—बाबू छेदीलाल गुमाश्ते कमसर्यट छावनी मुरार कानपुर

१४—लाला साईंदास मन्त्री आर्य्यसमाज लाहौर

१५—बाबू माधवदास मन्त्री आर्य्यसमाज दानापुर

१६—रावबहादुर रा० रा० पंडित गोपालराव हरि देशमुख मेम्बर कौन्सिल गवर्नर बम्बई और प्रधान आर्य्यसमाज बम्बई पूना

१७—रायबहादुर रा० रा० महादेव गोविन्द रानडे जज्ज पूना

*१८—पं० श्यामजीकृष्ण वर्म्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनिवरसिटी आक्सफोर्ड लण्डन बम्बई

नियम

१—उक्त सभा जैसे कि वर्त्तमानकाल वा आपत्काल में नियमानुसार मेरी और मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा करके सर्वहितकारी कार्य में लगाती है वैसे मेरे पश्चात् अर्थात् मेरे मृत्यु के पीछे भी लगाया करे:—

प्रथम-वेद और वेदाङ्गादि शास्त्रों के प्रचार अर्थात् उनकी व्याख्या करने कराने पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने छपवाने आदि में।

द्वितीय-वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात् उपदेशकमण्डली नियत करके देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग कराने आदि में॥

तृतीय-आर्यावर्त्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों

---

*हम परोपकारिणी सभा के सर्व प्रथम सब अधिकारियों और सदस्यों के विस्तृत जीवन-विवरण प्रकाशित करना चाहते हैं। विज्ञ सज्जन जिस-जिस के विषय में जानकारी रखते हों, लिख कर भेजने की कृपा करें।

—सम्पादक

के संरक्षण पोषण और सुशिक्षा में व्यय करे और करावे॥

२—जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे मेरे पश्चात् भी तीसरे या छठे महीने किसी सभासद् को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समझने और पड़तालने के लिये भेजा करे और वह सभासद् जाकर समस्त आय व्यय और संचय आदि की जांच पड़ताल करे और उनके तले अपने हस्ताक्षर लिखदे और उस विषय का एक-एक पत्र प्रति सभासद् के पास भेजे और उसके सम्बन्ध में कुछ हानि लाभ देखे उसकी सूचना अपने भी परामर्श सहित प्रत्येक सभासद् के पास लिख भेजे पश्चात् प्रत्येक सभासद् को उचित है कि अपनी अपनी सम्मति सभापति के पास लिख कर भेजदे और सभापति सब की सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे और कोई सभासद् इस विषय में आलस्य अथवा अन्यथा व्यवहार न करे॥

३—इस सभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि जैसा यह परमधर्म और परमार्थ का कार्य है उसको वैसे ही उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता और उदारता से करे॥

४—मेरे पीछे उक्त त्रयोविंशति आर्यजनों की सभा सर्वथा मेरे स्थानापन्न समझी जाय अर्थात् जो अधिकार मुझे अपने सर्वस्व का है वही अधिकार सभा को है और रहे यदि उक्त सभासदों में से कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वार्थ के वश होकर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जतावे तो वह सर्वथा मिथ्या समझा जाय।

५—जैसे इस सभा को अपने सामर्थ्य के अनुसार वर्त्तमान समय में मेरी और मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा और उन्नति करने का अधिकार है वैसे ही मेरे मृतक शरीर के संस्कार करने कराने का भी अधिकार है अर्थात् जब मेरा देह छूटे तो न उसको गाड़ने, न जल में बहाने न जङ्गल में फेंकने दे केवल चन्दन की चिता बनावे और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन चार मन घी पांच सेर कपूर ढाई सेर अगर तगर और दस मन काष्ठ लेकर वेदानुकूल जैसे कि संस्कारविधि में लिखा है वेदी बनाकर तदुक्त वेदमन्त्रों से होम करके भस्म करे इससे भिन्न कुछ भी वेदविरुद्ध क्रिया न करे और जो सभाजन उपस्थित न हों तो जो कोई समय पर उपस्थित हो वही पूर्वोक्त क्रिया करदे और जितना धन उसमें लगे उतना सभा से ले ले और सभा उसको दे दे॥

६—अपनी विद्यमानता में और मेरे पश्चात् यह सभा चाहे जिस सभासद् को पृथक् करके उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामाजिक आर्यपुरुष को नियत कर सकती है परन्तु कोई सभासद् सभा से तब तक पृथक् न किया जाय जब तक उसके कार्य में अन्यथा व्यवहार न पाया जाय॥

७—मेरे जहश यह सभा सदैव स्वीकारपत्र की व्याख्या वा उस के नियम और प्रतिज्ञाओं के पालन वा किसी सभासद् के पृथक् और उसके स्थान में अन्य सभासद् के नियत करने वा मेरे विपत् और आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यत्न में उद्योग करे और जो समस्त सभासदों की सम्मति से निश्चय और निर्णय पाया वा पावे और जो सम्मति में परस्पर विरोध हो तो बहुपक्षानुसार प्रबन्ध करे और सभापति की सम्मति को सदैव द्विगुण जाने॥

८—किसी समय भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपराध की परीक्षा कर पृथक् न कर सके जब तक पहिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले॥

९—यदि सभा में से कोई पुरुष मर जाय वा पूर्वोक्त नियमों और वेदोक्त धर्मों को त्याग कर विरुद्ध चलने लगे तो इस सभा के सभापति को उचित है कि सभासदों की संमति से पृथक् करके उसके स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त धर्मयुक्त आर्य पुरुष को नियत करदे परन्तु जब तक नित्यकार्य के अनन्तर नवीनकार्य का आरम्भ न हो।

१०—इस सभा को सर्वथा प्रबन्ध करने और नवीनयुक्ति निकालने का अधिकार है परन्तु जो सभा को अपने परामर्श और विचार पर पूरा पूरा निश्चय और विश्वास न हो पत्रद्वारा समय नियत करके

सम्पूर्ण आर्यसमाजों से सम्मति ले ले और बहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे ॥

११—प्रबन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना वा किसी सभासद् को पृथक् वा नियत करना वा आय-व्यय और संचय का जांच पड़ताल करना आदि लाभ हानि सभासदों को वार्षिक वा षाण्मासिकपत्रद्वारा सभापति छपवाकर विदित करे ॥

१२—इस स्वीकारपत्र सम्बन्धी कोई झगड़ा टंटा सामयिक राज्याधिकारियों की कचहरी में निवेदन न किया जाय। वह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था करले परन्तु जो अपनी सामर्थ्य से बाहर हो तो राज्य-गृह में निवेदन करके अपना कार्य सिद्ध करले ॥

१३—यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आर्य्यजन को पारितोषिक अर्थात् पेनशन देना चाहूं और उसकी लिखत पढ़त कराके रजिस्टरी करादूं तो सभा को उचित है कि उसको माने और दे ॥

१४—किसी विशेष लाभ उन्नति परोपकार और सर्वहितकारी कार्य के वश मुझे और मेरे पीछे सभा को पूर्वोक्त नियमों के न्यूनाधिक करने का सर्वथा सदैव अधिकार है ॥

दयानन्दसरस्वती

[हस्ताक्षर—दयानन्द सरस्वती]*

*महर्षि जी के हस्ताक्षरों का ब्लाक हमने इस पुस्तक के लिये बनवाया है। अजमेर की पुस्तक में यह नहीं है।
—सम्पादक